सतीश चंद्र और अन्य

बनाम

एम. पी. राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 211/2010)

6 मई, 2014

[सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय और ए. के. सिकरी, जे. जे.]

भारतीय दंड संहिता, 1860 – s.498A-विवाह के 3 वर्षों के भीतर विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या-इलाज करने वाले चिकित्सक के प्रमाणन के साथ कार्यकारी मजिस्ट्रेट (पीडब्ल्यू 2) द्वारा दर्ज किए गए मृत्यु कालिक कथन-s.498A के तहत अधीनस्थ अदालतों द्वारा पति और सास की सजा-यदि उचित है-अभिनिर्धारितः मृतका ने अपने कथनों में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि उसकी सास उससे सोने की चैन की मांग जिसे उसके माता-पिता पूरा नहीं कर सके के कारण उसके साथ नियमित रूप से लड़ाई करती थी और उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन भी उसने लड़ाई की थी और इस तरह के नियमित झगड़ों से तंग आकर उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाला और खुद को आग लगा ली-जाहिर है, आत्महत्या करने का तत्काल कारण दहेज की मांग के कारण सास के साथ नियमित लड़ाई थी-सास के प्रति धारा 498क के घटक पूर्ण होते है क्योंकि मृतका सम्पत्ति जो कि इस मामले में सोने की चैन थी, की अवैध मांग को लेकर उस मांग को पूरा

करने में उसकी ओर से विफलता के कारण क्रूरता के अधीन थी-इतना ज्यादा कि, इसने अंततः मृतका को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया-हालाँकि, मृतका ने अपने बयान में अपने पति को बिल्कुल भी दोषी नहीं ठहराया और इसके विपरीत, स्पष्ट रूप से कहा कि वह निर्दोष था-कोई निर्णायक सबूत नहीं है कि उसकी ओर से कोई "क्रूरता" कारित की गयी थी-वास्तव में, अपनी पत्नी को खुश करने और संतुष्ट करने के लिए, पति जीवन में कुछ बनने के लिए सभी प्रयास कर रहा था और था उसके लिए संघर्ष कर रहा था-पति को धारा 498क के आरोप के लिए संदेह का लाभ दिया गया और इस प्रकार उस आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया-हालांकि सास की दोषसिद्धि धारा 498A के अंतर्गत बरकरार रखा गया।

दंड संहिता, 1860 – s.304-B- विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या-मृतका ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डाला और फिर स्वयं आग लगा ली-इलाज करने वाले चिकित्सक (पीडब्ल्यू 5) के प्रमाणन के साथ कार्यकारी मजिस्ट्रेट (पीडब्ल्यू 2) द्वारा दर्ज किए गए मृत्यु कालिक कथन-धारा 304B के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पति और सास की दोषसिद्धि-यदि उचित है- अभिनिर्धारितः मौत जलने से हुई थी और विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुई थी-इसके अलावा, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन मृतका और उसकी सास के मध्य हुआ झगड़ा आत्महत्या करने का मुख्य कारक था-मृतका और उसकी सास के बीच दहेज के लिए नियमित लड़ाइयां होती थी-मृतका के बयान में यह स्पष्ट था

कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिवस को भी इसी कारण से उसकी सास ने उससे लड़ाई की थी-इसलिए, सास द्वारा कारित धारा 304 बी के अपराध के लिए अखण्डित निश्चित मृत्यु कालिक कथन को देखते हुए निश्चायक सबूत है-हालाँकि, पति के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उसने मृतका के साथ मृत्यु से तुरंत पहले "क्रूरता" का कोई भी कार्य किया जिसने मृतका को ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर किया- मृतका ने अपने कथनों में कहीं भी यह नहीं कहा कि उस तारीख को जब उसकी सास ने उसके साथ झगड़ा किया था, तो पति उसके साथ सम्मिलित था या उसके लिए उत्तरदायी था-इस प्रकार पति को धारा 304B के आरोप से दोषमुक्त किया गया जबकि सास की धारा 304B के अंतर्गत की गई दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया।

सजा/दण्ड दिया गया-विवाहित महिला द्वारा विवाह के 3 वर्षों के भीतर आत्महत्या -अपीलार्थी सं० 2 (सास) को धारा 304 बी और 498 क के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दोषसिद्ध किया गया और धारा 498 क के अपराध के लिए एक वर्ष का कठिन कारावास और धारा 304B के अपराध के लिए 10 साल की सजा दी गयी-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः तथ्यों के आधार पर, धारा 498A भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए एक वर्ष की सजा बनाए रखा गया-हालाँकि, जहाँ तक धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता का संबंध है, कुछ निश्चित और कम करने वाली परिस्थितियां हैं-सबसे पहले, तब भी जब आत्महत्या करने का तत्काल

कारण मृतका और अपीलार्थी सं. 2 (सास) के बीच लड़ाई थी, उसी समय मृतका अन्य कारणों से भी अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थी-वास्तव में, वह शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी जो उसने अपने रिश्तेदारों को भेजे पत्रों में कहा था-न्याय के हित में, धारा 304B भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के संबंध में सजा को 10 साल से घटाकर 7 वर्ष का कठिन कारावास किया गया-दंड संहिता, 1860-धाराएं 304 बी और 498 ए।

साक्ष्य अधिनियम, 1872- धारा 32 – मृत्युकालिक कथन-चुनौती, इस आधार पर कि मृतका को बयान देने से पहले पढ़ाया गया था-अभिनिर्धारितः तर्कसंगत नहीं-अभिलेख पर कुछ भी नहीं जो यह दर्शित कर सके कि मृतका को पढ़ाया गया हो-मृतका अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थी और उसने यह पहले भी कई मौकों पर व्यक्त किया था, यही तथ्य उसके कथनों में भी दर्शित हुआ है-मृत्युकालिक कथन स्वाभाविक और स्वैच्छिक थी।

साक्ष्य अधिनियम, 1872-धारा 32 – मृत्युकालिक कथन-चुनौती, इस आधार पर कि इसे प्रश्न-उत्तर के रूप में दर्ज नहीं किया गया था-अभिनिर्धारित-प्रश्न-उत्तर के रूप में कथन लिखा जाना आम तौर पर ऐसे कथन लेखबद्ध करने में प्रयुक्त की जानी चाहिए, हालांकि ऐसा बयान अन्यथा धारा 32 की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और विश्वसनीयता के योग्य पाया जाता है, तो इसे केवल इस आधार पर खारिज

कर दिया जाएगा कि इसे प्रश्न और उत्तर के रूप में दर्ज नहीं किया गया था।

शादी के तीन साल के भीतर एक शादीशुदा महिला ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्महत्या कर ली और फिर खुद को आग लगा ली। मृतका का क्रमशः अपीलार्थी नं. 1 पति है और अपीलार्थी नं. 2 सास है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपनी मृत्यु से ठीक पहले, उसने एक बयान प्रदर्श पी9 जो मजिस्ट्रेट (पीडब्ल्यू2) की मौजूदगी में इलाज करने वाले चिकित्सक(पीडब्ल्यू5) के इस प्रमाणन कि वह बयान देने के लिए मानसिक रूप से उपर्युक्त अवस्था में है, अभिलिखित किया गया। इसके चलते अपीलार्थियों के साथ-साथ अपीलार्थी नं. 1 के पिता और बहन दोनों पर भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-बी और 498-ए के तहत मुकदमा चलाया गया।

विचारण न्यायालय ने दोनों अपीलार्थियों के साथ- साथ अपीलार्थी की बहन को भी दोषी ठहराया। अपीलार्थियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए के तहत एक साल के कठोर कारावास और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 बी के तहत 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। अपील में, उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी9) पर निर्भर किया। जहां तक धारा 498 ए के तहत आरोप का संबंध है, उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रदर्श पी8, मृतका द्वारा लिखा गया एक पत्र

जिसमें कहा गया था कि उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया है, के आधार पर साबित हुआ था।। उच्च न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि मृत्युकालिक कथन के साथ-साथ पत्र(प्रदर्श पी. 8) में लगाए गए आरोप मृतका के पिता (पी. डब्ल्यू. 1), भाई (पी. डब्ल्यू. 7) और मौसा (पी. डब्ल्यू. 4) की साक्ष्य द्वारा विधिवत समर्थित थे। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की लेकिन अपीलार्थी नं. 1 की बहन को दोषमुक्त कर दिया। अतः वर्तमान अपीलें हैं।

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारितः

1.1. शादी की तारीख से 3 साल की अवधि के भीतर घटना कारित हुई थी। चूँकि यह विवाह के 7 वर्षों के भीतर हुई है, अतः धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत उपधारणा की जाएगी यदि उक्त धारा के अंतर्गत अन्य घटक तय हो जाते है। [पैरा 26] [43-सी]

1.2. कार्यपालक मजिस्ट्रेट(पीडब्ल्यू2) द्वारा दर्ज किए गए बयान में मृतका ने घटना का अर्थात् आत्महत्या करने के तरीके का विवरण दिया था। उन्होंने ऐसा कदम उठाने का कारण भी बताया है और उसके ससुरालवालों द्वारा उसके साथ किए गए व्यवहार का वर्णन किया है। एक विशिष्ट आरोप यह है कि उसकी सास (अपीलार्थी सं. 2) और ननद उसे इस आधार पर परेशान करते थे कि उसके माता-पिता ने सोने की चैन नहीं

दी थी और वे दहेज के लिए लड़ते थे। यह बात उसके पिता को पता थी। उन्होंने कहा था कि वह लगातार हो रही लड़ाई के कारण अपने जीवन का अंत कर रही थी। उसने यह भी कहा है कि उसका पति (अपीलार्थी संख्या 1) उनकी सास के प्रभाव में आ गया है जिस वजह से वह उसे पीटता था, लेकिन अन्यथा वह निर्दोष था। [पैरा 27] [43-डी-एफ]

1.3. कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा मृतका के बयान अभिलिखित करने से पूर्व इलाज करने वाले डॉक्टर, पीडब्ल्यू5, ने प्रमाणित किया कि वह पूरी तरह से होश में थी और वह अपना बयान देने की स्थिति में थी। डॉक्टर ने पुनः बयानों में भी कहा कि अपना बयान दर्ज करते समय, वह पूरी तरह से होश में रही। कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने उचित सावधानियाँ बरती और यहाँ तक कि बयान अभिलिखित करने से पूर्व मृतका के स्वास्थ्य की स्थिति का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया। उन्होंने पी. डब्ल्यू. 2 के रूप में साक्ष्य देते समय इस आशय से बयान भी दिया है। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह इंगित करता है कि मृतका को उसके मौसा द्वारा पढ़ाया गया होगा। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि अस्पताल पहुंचने के बाद उन्हें अपने मौसा से मिलने का मौका मिला और उसे उन्हें पढ़ाने का अवसर मिला। यह भी ध्यान में रखा जाना है कि उनके द्वारा घटना की तारीख से पहले उसके रिश्तेदारों को लिखे गए कुछ पत्रों में स्पष्ट रूप से यह कहा कि वह अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थी और इसे समाप्त कर सकती है। मृतका अपने वैवाहिक जीवन से खुश

नहीं थी और उसने पहले भी कई मौकों पर ऐसा कहा था। यह तथ्य उनके बयान में भी सामने आया है। यह भी इंगित करने के लिए उचित है कि उसने मुख्य रूप से अपनी सास और ननद को दोषी ठहराया है। उसके पति के खिलाफ इस आशय का कोई आरोप नहीं है कि वह भी दहेज की मांग कर रहा था। वह स्पष्ट रूप से कहती है कि उसके पति ने जो कुछ भी किया वह उसकी सास के प्रभाव में किया, और वह कभी-कभी उसे पीटता भी रहता हैं। अन्यथा, उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसका पति निर्दोष है। यदि किसी प्रकार का कोई लिखाया पढ़ाया गया होता तो, यह कथन इस रूप में नहीं होता जो कि अधिक स्वाभाविक और स्वैच्छिक प्रतीत होता है। इन सभी कारणों से यह नहीं कहा जा सकता है कि मृतका को बयान देने से पहले उसे पढ़ाया गया था। [पैरा 29] [43 जी-एच; 44-सी-एच]

1.4 . सिर्फ इसलिए कि कथन को प्रश्न और उत्तर के रूप में दर्ज नहीं किया गया है, इसे एक बार खारिज करने का कोई कारण नहीं है। अन्यथा यह विश्वसनीय पाया जाता है और इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत मृत्युकालिक कथन के रूप में स्वीकार्य माना जा सकता है। निस्संदेह, इस न्यायालय द्वारा इस बात पर जोर दिया गया है कि इस तरह के बयान को प्रश्न और उत्तर के रूप में दर्ज करना अधिक उपयुक्त तरीका है जिसका आम तौर पर सहारा लिया जाना चाहिए। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं होगा कि यदि ऐसा कोई बयान अन्यथा धारा 32 की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और विश्वसनीयता के योग्य पाया जाता है,

तो इसे केवल इस आधार पर खारिज कर दिया जाएगा कि इसे प्रश्न और उत्तर के रूप में दर्ज नहीं किया गया था। कार्यकारी मजिस्ट्रेट (पीडब्ल्यू2) द्वारा बयान दर्ज करने से पहले सभी आवश्यक सावधानियां बरती गईं। यह अभिलेख से दर्शित है कि मृतका अपना बयान पूरा करने के बाद भी होश में थी और उस अवधि के दौरान जब उसका बयान दर्ज किया जा रहा था, इस आशय का प्रमाण पत्र भी पीडब्ल्यू 2 द्वारा प्राप्त किया गया था। [पैरा 30] [45-ए-डी]

1.5. पत्रों के संदर्भ से, मृतका अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थी, इसकी एक संभावना यह भी हो सकती है कि उसका पति धनी नहीं था और जीवन में स्थिर नहीं था। इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि वह नमकीन के छोटे व्यवसाय से खुश नहीं थी जो अपीलार्थी नंबर 1 द्वारा एक छोटी सी दुकान में किया जा रहा था और उसकी आकांक्षाएं बहुत अधिक थीं। उसने उससे वह व्यवसाय को बंद करवा दिया और दोनों पति और मृतका ने एक निजी स्कूल में शिक्षक के रूप में नौकरी शुरू की थी। बाद में मृतका ने अपनी वह नौकरी भी खो दी। लेकिन मृत्युकालिक कथन में दिए गए उसके बयान को ध्यान में रखते हुए यह उनके आत्महत्या करने की वजह नहीं थी। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि उसकी सास सोने की चैन की मांग जिसे उसके माता-पिता पूरा नहीं कर सके, को लेकर उसके साथ नियमित रूप से मारपीट करती थी। उस दिन भी उसका झगड़ा हुआ था और रोज-रोज के झगड़ों से तंग आकर उसने

अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया और आग लगा ली। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आत्महत्या करने का तात्कालिक कारण दहेज की मांग को लेकर सास के साथ नियमित झगड़ा था। इस प्रकार, यह स्थापित होता है कि अपीलार्थी नंबर 2, मृतका की सास द्वारा लगातार दहेज की मांग की जा रही थी और इस मांग को पूरा न करने पर अपीलार्थी नंबर 2 उसके साथ क्रूरता का व्यवहार भी कर रही था। [पैरा 31] [45-एफ-एच; 46 ए-सी]

1.6. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए के तत्व अपीलार्थी सं. 2 के सम्बन्ध में पूर्ति करते है क्योंकि मृतका संपत्ति जो कि इस प्रकरण में सोने की चैन है की गैरकानूनी मांग और उस मांग को पूरा करने में उसकी ओर से विफलता के कारण क्रूरता का शिकार था। इतना कि, अंततः इसने सुनीता को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया। [पैरा 32] [46-एच; 47-ए]

1.7. जहाँ तक अपीलार्थी सं. 1 का संबंध है, धारा 498ए के तहत उसकी सजा को बरकरार रखना मुश्किल है। मृतका ने अपने बयान में इस मांग के लिए अपनी सास और ननद पर ही आरोप लगाया है। उन्होंने अपने पति पर बिल्कुल भी आरोप नहीं लगाया है। इसके विपरीत, उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसका पति निर्दोष है। संभवतः कभी-कभी अपीलार्थी नंबर 1 ने अपनी सास के कहने पर अपनी पत्नी को पीटा हो, लेकिन मृतका ने इसे दहेज की मांग से नहीं जोड़ा है। इसलिए, यह

निश्चायक रूप से साबित नहीं हुआ है कि उसके द्वारा कोई "क्रूरता" की थी। यहां विभिन्न पत्रों के साथ मृतका का बयान पढ़ना कुछ हद तक महत्वपूर्ण हो जाता है। उन पत्रों का सार, जहां तक वे अपीलार्थी संख्या 1 से संबंधित हैं, इंगित करता है कि जहां तक अपीलार्थी संख्या 1 का संबंध है, उसे दोषी नहीं ठहराया गया है। दरअसल, अपीलार्थी नंबर 1 अपनी पत्नी को खुश और संतुष्ट करने के लिए जीवन में कुछ बनने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था और उसके लिए संघर्ष कर रहा था। इस प्रकार, धारा 498ए के तहत अपीलार्थी संख्या 1 को संदेह का लाभ दिया गया। परिणामस्वरूप, आईपीसी की धारा 498ए के तहत अपीलार्थी नंबर 2 की सजा को बरकरार रखते हुए, अपीलार्थी नंबर 1 को इस आरोप से दोषमुक्त किया गया।[पैरा 33] [47 बी-ई]

1.8. मृत्यु जलने से हुई है तथा सामान्य परिस्थितियों के अलावा अन्य परिस्थितियों में हुई है। ऐसा उनकी शादी के 7 साल के भीतर हुआ था। इसके अलावा, आत्महत्या करने का कारण उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को उसके और उसकी सास के बीच हुआ झगड़ा था। साथ ही यह ऐसा मामला नहीं है जहां अपीलार्थियों ने मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी हो। यह मृतका का ही कृत्य है इसलिए यह आत्महत्या का मामला है। बयान को समग्रता से पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि नियमित झगड़े का कारण/कारण दहेज था। बयान से साफ पता चल रहा है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन भी अपीलार्थी नंबर 2 ने इसी वजह से उससे झगड़ा किया

था। इसलिए, अपीलार्थी नंबर 2 द्वारा कारित धारा 304 बी के अपराध के लिए अखण्डित निश्चित मृत्यु कालिक कथन को देखते हुए निश्चायक रूप से सिद्ध है। यहां फिर से, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी नंबर 1 ने उसकी मृत्यु से तुरंत पहले "क्रूरता" का कोई कार्य किया था, जिसने मृतका को ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर किया। उसने कहीं भी यह नहीं कहा है कि उस तारीख को जब उसकी सास ने उससे झगड़ा किया था, अपीलार्थी नंबर 1 उसमें सम्मिलित था या उसके लिए उत्तरदायी भी था। इस प्रकार अपीलार्थी संख्या 1 को धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप से भी दोषमुक्त किया गया। [पैरा 35] [48-सी-जी]

सत्कार सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2004) 11 एससीसी 291 और किशोरी लाल बनाम एम. पी. राज्य 2007 (10) एस. सी. सी. 797 : 2007 (7) एस. सी. आर. 1051-संदर्भित।

2. अपीलार्थी संख्या 2 की सजा के संबंध में, आईपीसी की धारा 498 ए के तहत अपराध के लिए एक वर्ष के कठोर कारावास (आरआई) की सजा को बरकरार रखा गया। हालाँकि, जहां तक आईपीसी की धारा 304 बी का संबंध है, कुछ निश्चित और कम करने वाली परिस्थितियां हैं। सबसे पहले, जब कि आत्महत्या करने का तात्कालिक कारण झगड़ा था, साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि मृतका अन्य कारणों से भी अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थी। दरअसल, वह इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं

थी, जैसा कि उसने अपनी मौसी या मौसा को लिखे कुछ पत्रों में बताया था। सजा को 10 साल से घटाकर 7 साल की कठोर कैद कर देने से न्याय का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। [पैरा 36] [48-एच; 49-ए-सी]

संदर्भित न्यायिक दृष्टांतः

(2004) 11 एस. सी. सी. 291 संदर्भित किया गया है पैरा 19

2007 (7) एससीआर 1051 संदर्भित किया गया है पैरा 23

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. की 211/2010

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ द्वारा आपराधिक अपील सं. 288/1995 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 21.10.2008 से

सुशील कुमार जैन, पुनीत जैन, छाया कीर्ति (प्रतिभा जैन के लिए) अपीलार्थी के लिए।

ऐश्वर्या भाटी, संजोली मित्तल (सी. डी. सिंह के लिए) प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय दिया गया था

ए. के. सिकरी, जे.

1. हमारे सामने दो अपीलार्थी बेटा और मां हैं। मृतका श्रीमती सुनीता का क्रमशः अपीलार्थी क्रमांक 1 पति और अपीलार्थी क्रमांक 2 सास थी। अपीलार्थी संख्या 1 और श्रीमती सुनीता के मध्य विवाह अप्रैल 1988 में

हुआ। श्रीमती सुनीता ने 14.1.1991 को यानी शादी के तीन साल के भीतर ही आत्महत्या कर ली। उनके अनुसार उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। विचारण आगे बढ़ा। अभियोजन पक्ष के विभिन्न गवाहों से पूछताछ की गई। अभिलेख पर लाए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर, सत्र न्यायालय ने अपीलार्थियों के साथ-साथ अपीलार्थी नंबर 1 की बहन को भी दोषी करार दिया।

3. विचारण न्यायालय ने दोनों अपीलार्थियों के साथ-साथ अपीलार्थी नंबर 1 की बहन सुनीता को आईपीसी की धारा 498 ए के तहत अपराध के लिए एक साल के कठोर कारावास (आर.आई.) की सजा सुनाई। प्रत्येक अपीलार्थी पर 1,000/- रुपये का जुर्माना भी लगाया गया और अदम अदायगी पर अपीलार्थियों को छह महीने के लिए अतिरिक्त आर.आई. से भुगतना था। धारा 304-बी के तहत अपराध के लिए, दोनों अपीलार्थियों को 10 साल के कठोर कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना की सजा समान अदम अदायगी के खण्ड के साथ सुनाई गई।

4. अपीलार्थियों ने उक्त दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। दिनांक 21.10.2008 के आक्षेपित निर्णय द्वारा मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की है, जिससे इन दोनों अपीलार्थियों की अपील खारिज कर दी गई है। हालांकि, सुनीता को दोषमुक्त कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के उक्त

फैसले की वैधता पर सवाल उठाते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी जिसे अनुमति दी गई थी। इस प्रकार वर्तमान अपील पर अंततः इस न्यायालय द्वारा सुनवाई की गई है।

5. उच्च न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी9) पर निर्भर किया है, जो उच्च न्यायालय के अनुसार निश्चित व अखण्डनीय साक्ष्य है जिससे अपीलार्थी बच नहीं सकते हैं। यह पाया गया है कि उक्त मृत्युकालिक कथन विश्वसनीयता के योग्य है, जिसे मजिस्ट्रेट (पीडब्ल्यू2) की उपस्थिति में दर्ज किया गया था, वह भी डॉक्टर (पीडब्ल्यू5) के प्रमाणीकरण के साथ कि सुनीता बयान देने के लिए मानसिक रूप से फिट थी, इस तथ्य के बावजूद कि वह 92 प्रतिशत जल चुकी है। जहां तक धारा 498ए के तहत आरोप का संबंध है, उच्च न्यायालय ने पाया है कि यह प्रदर्श पी8, जो मृतका द्वारा पूर्व में लिखा गया एक पत्र था जिसमें कहा गया था कि उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, के आधार पर साबित हुआ था। उच्च न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि मृत्युकालिक कथन के साथ-साथ पत्र(प्रदर्श पी. 8) में लगाए गए आरोप मृतका के पिता (पी. डब्ल्यू. 1), भाई (पी. डब्ल्यू. 7) और मौसा (पी. डब्ल्यू. 4) की साक्ष्य द्वारा विधिवत समर्थित थे। यह पाया गया है कि जबकि वे मृतका के करीबी रिश्तेदार होने के नाते हितबद्ध साक्षी थे, तब भी उनकी साक्ष्य को खारिज करने का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक, जब उनकी

साक्ष्य को लिखित दस्तावेजों द्वारा समर्थित किया गया था, अर्थात् मृतका द्वारा लिखे गए पत्र जो प्रदर्श पी1, पी3, पी4 और पी5 थे।

6. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशील कुमार जैन ने विभिन्न गवाहों के बयानों में खामियां खोजने का प्रयास किया। उनके तर्क का मुख्य आधार यह था कि दोनों आरोपों के लिए यानी आईपीसी की धारा 498ए के साथ-साथ 304बी के तहत अपीलार्थियों के अपराध को दोषसिद्ध करने के लिए उनकी साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। इस प्रयास में, उन्होंने इन गवाहों की साक्ष्य के विभिन्न हिस्सों का उल्लेख यह दिखाने के उद्देश्य से किया कि उनकी ओर से यह स्वीकारोक्ति थी कि विवाह के समय कोई दहेज नहीं लिया गया; उसके बाद भी दहेज की कोई मांग नहीं की गई और मृतका के साथ बिल्कुल भी क्रूरता नहीं की गई। उनका आगे का प्रयास यह दर्शित करने का था कि मृतका ने अपने कारणों और निराशाओं के कारण आत्महत्या की थी, जिसके लिए अपीलार्थियों की कोई जिम्मेदारी नहीं थी और जिसके लिए अपीलार्थियों को किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था, क्योंकि वह अपीलार्थी संख्या 1 के साथ अपनी शादी से खुश नहीं थी, जो उसकी रचना थी, जिसमें अपीलार्थियों की ओर से कोई दोष नहीं था। इससे पहले कि हम इन तर्कों पर विस्तार से ध्यान दें और तय करें, मूलभूत साक्षियों की साक्ष्य के साथ-साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजी सबूतों पर भी ध्यान देना उचित होगा। इसके बाद ही श्री जैन के तर्क बेहतर ढंग

से समझे जा सकेंगे और हमारे विश्लेषण/चर्चा के लिए विश्लेषित किए जा सकेंगे।

7. रामेश्वर दयाल (पीडब्ल्यू1) के अनुसार, जब भी उनकी बेटी सुनीता गुना आती थी तो कहती थी कि उसके सास-ससुर लगातार सोने की चैन की मांग करते थे। वर्ष 1989 के श्रावण माह में वे बेटी को लेने जावरा आए थे तो उसकी सास ने उनके सामने ही बेटी से मारपीट की थी। रामेश्वर दयाल ने यह भी कहा है कि लड़की के पत्रों से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि उसका पति और सास-ससुर उसे प्रताड़ित कर रहे थे।

8. अशोक शर्मा (पीडब्ल्यू. 7) ने कहा कि उनकी बहन द्वारा उन्हें एक पत्र प्रदर्श पी5 भेजा गया था। । रामेश्वर दयाल ने यह भी कहा है कि पत्र प्रदर्श पी.3 और पी4 सुनीता द्वारा लिखे गए हैं। अशोक शर्मा के बयान से पता चला है कि सुनीता ने उन्हें गुना और सागर में बताया था कि ससुराल वाले सोने की चैन और पैसों की मांग कर रहे थे। साथ ही वह ससुराल में भी परेशान की जाती थी। मौत से करीब डेढ़ महीने पहले अशोक शर्मा की मुलाकात सुनीता से तब हुई थी, जब वह सागर गई थीं।

9. राम बिहारी लाल शर्मा (पीडब्ल्यू 4) मृतका सुनीता के मौसा हैं। पुलिस ने उनकी उपस्थिति में घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया था। पुलिस ने राम बिहारी लाल शर्मा से पत्र प्रदर्श पी3, पी4 और पी5 जब्त किए थे। राम बिहारी लाल शर्मा जब स्कूल में थे तब उन्हें सुनीता के

जलने की सूचना मिली थी। इस पर वह मौके पर पहुंचे और बाद में सुनीता के पास अस्पताल में गए थे।

10. नायब तहसीलदार एसपीएस चौहान (पीडब्ल्यू2) ने सुनीता की मृत्यु से पहले उसका बयान (एक्स. पी.9) दर्ज किया था। इस गवाह ने प्रदर्श 9 में बी से बी तक के बयान को सुनीता द्वारा दिया जाना साबित कर दिया है। बयान लेने से पहले डॉक्टर का प्रमाणपत्र लिया गया। डॉ. एसके जैन (पीडब्ल्यू. 5) ने सुनीता की जांच की थी और उसका बयान लेने की सलाह दी थी। इससे संबंधित रिपोर्ट प्रदर्श पी15 है। मृत्यु के बाद डॉ. चंदेलकर (पीडब्ल्यू6) ने सुनीता का पोस्टमॉर्टम किया था। डॉ. जैन ने सुनीता के शरीर से केरोसिन की गंध आने और उसके 92 फीसदी तक जल जाने का कथन किया है। उनके अनुसार मौत का कारण जलना, शरीर से पानी का बहना और रसायनों के नष्ट होने से उत्पन्न सदमे की स्थिति है। डॉ. चंदेलकर ने भी शरीर से केरोसिन की गंध आने का कथन किया है। उन्होंने जो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट दी है, वह प्रदर्श पी16 है।

11. बचाव पक्ष ने एक गवाह पेश किया जो कि अपीलार्थी क्रमांक 1 के बहनोई प्रवीण दीक्षित है जो उनकी बहन सुनीता के पति है।

12. विचारण न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए बचाव पक्ष द्वारा विस्तृत तर्क दिए गए थे। यह तर्क दिया गया कि मृतका के साथ क्रूरता

का व्यवहार नहीं किया गया, दहेज के आधार पर तो बिल्कुल भी नहीं। बचाव पक्ष ने मृतका सुनीता के मृत्युकालिक कथन पर भी इस तर्क के साथ हमला किया कि इसमें कई खामियां होने के कारण यह अविश्वसनीय था। विचारण न्यायालय ने कहा कि दो निर्णायक प्रश्न थे जिन्हें निर्धारित किया जाना था और वे थे:

> "(i) क्या आरोपी अधिक दहेज प्राप्त करने के अवैध उद्देश्य के लिए सतीश चंद्र त्रिवेदी की पत्नी सुनीता के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे।
>
> (ii) क्या आरोपी ने अधिक दहेज पाने के अवैध उद्देश्य की पूर्ति के लिए 14.1.1991 की रात को सुनीता को प्रताड़ित किया और सुनीता की मृत्यु प्राकृतिक मौत से अलग तरीके से हुई?"

13. उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर देते समय, साक्षीगण की मौखिक साक्ष्य पर निर्भर करने के अलावा, विचारण न्यायालय ने पत्र प्रदर्श पी-3, जो सुनीता द्वारा अपनी मौसी(मौसी) को लिखा गया एक पत्र है जिसमें कहा गया है कि वह अपनी जान देने के अलावा कुछ नहीं करेगी, का उल्लेख किया। साथ ही, पत्र प्रदर्श पी-8 जो सतीश ने अपने ससुर के साथ-साथ पूर्व पत्नी को भी लिखा था, एवं प्रदर्श पी-1 जो कि मृतका सुनीता द्वारा अपनी मृत्यु से 15 दिन पहले अपने माता-पिता को लिखा गया एक पत्र

था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि माहौल में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वह अपने वैवाहिक घर में खुश नहीं है, का भी उल्लेख किया गया। मौखिक साक्ष्य के साथ इन पत्रों के आधार पर, विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि दहेज की मांग की गई थी जिसके कारण मृतका को परेशान किया गया था।

14. विचारण न्यायालय ने पत्र पी-9, अर्थात्, मरने से पहले दिया गया बयान पर भी विचार किया और यह निष्कर्ष दिया कि चूंकि बयान डॉक्टर द्वारा सुनीता के स्वास्थ्य की स्थिति को प्रमाणित करने के बाद ही लिया गया था, इसलिए वह ऐसा बयान देने के लिए उचित मानसिक स्थिति में थी। विचारण न्यायालय ने बचाव पक्ष के उस मत को भी खारिज कर दिया कि सुनीता को बयान देने के लिए उसके मौसा ने सिखाया था। मृत्यु कालिक कथन के अवलोकन पश्चात्, विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया कि वास्तव में घटना की तारीख पर उसके खुद को आग लगाने से ठीक पहले एक झगड़ा हुआ था। इस विश्लेषण के आधार पर, विचारण न्यायालय ने इस फैसले की शुरुआत में उल्लिखित रीति से अपीलार्थियों और अपीलार्थी नंबर 1 की बहन के खिलाफ दोषी का फैसला सुनाया।

15. उच्च न्यायालय ने सभी मुद्दों पर विस्तार से गौर किया और निम्नलिखित कारणों को दर्ज करते हुए इन दो अपीलार्थियों के फैसले को बरकरार रखा:

> "(i) उपरोक्त तर्कों पर विचार करने पर, मुझे लगता है कि अपील में कोई गुणता नहीं है, मुख्य रूप से, इस आधार पर कि क्योंकि अभियोजन के साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी-9 अखण्डित एवं निश्चायक सबूत है जिससे अभियुक्तगण बच नहीं सकते हैं, द्वारा समर्थित और पुष्टि किए गए हैं। प्रदर्श पी-9 विधिनुसार दर्ज और साबित किया गया है। डॉ. एस.के. जैन पीडब्ल्यू-5 ने प्रमाणित किया है कि यद्यपि मृतका सुनीता 92% जल चुकी थी, फिर भी उसकी मानसिक स्थिति ठीक थी। मृतका के मृत्युकालिक कथन मजिस्ट्रेट श्री एस.पी.एस. चौहान पीडब्ल्यू-2 की उपस्थिति में दर्ज किया गया है और इसमें कोई दोष नहीं पाया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध प्रदर्श पी/8 से भी यह साबित होता है कि मृतका के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा था।
>
> (ii) मुथु कुट्टी और अन्य बनाम टीएन राज्य (2005) 9 एससीसी 113 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर निर्भर

किया, जिसके तहत शीर्ष अदालत ने माना है कि मृत्युकालिक कथन, यदि योग्य और विश्वसनीय है और इसमें कोई खामी नहीं है, तथा 'Nemo Moriturus praesumitur' के सिद्धांत जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति अपने निर्माता से मुंह में झूठ लेकर नहीं मिलेगा, को पुष्ट करती है तो केवल उसके आधार पर सजा दी जा सकती है।

(iii) फिर, इस तथ्य के आधार पर यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि मृत्युकालिक कथन को रामेश्वर दयाल पीडब्ल्यू-1, अशोक शर्मा पीडब्ल्यू-7 और रामबिहारीलाल शर्मा पी4-4 मृतका के पिता, भाई और मौसा हैं, की साक्ष्य द्वारा विधिवत समर्थित किया गया है और यद्यपि वे मृतका से संबंधित होने के हितबद्ध साक्षीगण हैं। इन परिस्थितियों में यह स्वाभाविक है क्योंकि धारा 498-ए के तहत अपराध मृतका की मृत्यु से ठीक पहले उसके साथ की गई क्रूरता से संबंधित है और वह केवल इन्हीं व्यक्तियों को इसकी रिपोर्ट करने के लिए बाध्य थी। इसके अलावा उनकी साक्ष्य लिखित दस्तावेजों, मृतका सुनीता द्वारा लिखे गए पत्र प्रदर्श पी1, पी3, पी4 और पी5 द्वारा विधिवत समर्थित है। यह तथ्य कि रामेश्वर दयाल पीडब्ल्यू-1 ने अपने बयान में कहा है कि अभियुक्ता सोहनबाई ने उसकी उपस्थिति में उसकी

बेटी को थप्पड़ मारा था, की पुष्टि प्रदर्श पी5 भाई को लिखे पत्र से होती है जिसमें बताया कि उसके (मृतक सुनीता) साथ उसके पिता के सामने दुर्व्यवहार किया गया था, जो असहाय होकर देखते रहे और स्थिति को कभी भी सुधारा नहीं जा सकता।"

16. हालाँकि, जहाँ तक अपीलार्थी नंबर 1 की बहन का सवाल है, संदेह का लाभ दिया गया क्योंकि शादी के बाद वह इंदौर में अलग रह रही थी।

17. अब हम अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जैन के विस्तृत तर्कों पर ध्यान देते हैं। उन्होंने अपना निवेदन यह तर्क देकर शुरू किया कि शादी के समय मृतका के पिता ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि अपीलार्थी नंबर 1 सेवा में नहीं था। वह गलत धारणा में था कि लड़के के पिता एक अमीर व्यक्ति थे और उनकी बेटी वैवाहिक घर में खुश होगी, भले ही अपीलार्थी नंबर 1 केवल एक छोटी सी दुकान यानी नमकीन बेचने का व्यवसाय चलाकर अपनी आजीविका कमा रहा हो। उन्होंने आगे कहा कि दहेज की मांग करने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच विवाह उस दिन संपन्न सामूहिक विवाह का एक हिस्सा था।

18. उनके अनुसार, पत्रों के साथ-साथ अभियोजन पक्ष के गवाहों की साक्ष्य को पढ़ने से निष्कर्ष आएगा कि वास्तविक समस्या अपीलार्थी नंबर

1 की बेरोजगारी थी जो शांति भंग का मुख्य कारण थी। इस प्रकार, उन्होंने घटनाओं को निम्नलिखित तरीके से प्रस्तुत करते हुए कहानी को अपने तरीके से बुनने की कोशिश की: -

अपीलार्थी क्रमांक 1 अपनी पढ़ाई जारी रख रहा था (वह एलएलबी कर रहा था) जो कि मृतका के भाई द्वारा लिखे गए पत्र दिनांक 29.1.1998 से स्पष्ट है। इस पत्र में मृतका के भाई श्री अशोक ने यह भी लिखा कि मृतका को स्नेह से रखा जाता था। मृतका सुनीता स्नातक थी। अपीलार्थी क्रमांक 1 द्वारा छोटी सी दुकान में चलाया जा रहा नमकीन का व्यवसाय उसे पसंद नहीं आया। उसने अपीलार्थी नंबर 1 को उक्त व्यवसाय बंद करने के लिए मजबूर किया। यह तथ्य कि उक्त व्यवसाय मृतका और/या उसके भाई के कहने पर बंद कर दिया गया था, मृतका के भाई अशोक कुमार शर्मा द्वारा अपीलार्थी नंबर 1 के परिवार को लिखे गए दिनांक 29.1.1989 के पत्र से स्पष्ट है, जिसमें उन्होंने लिखा था: -

> "चि. सतीश जी आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। आपने तो दुकान बंद करने को कहा था। यह कैसे चल रहा है? एलएलबी का परिणाम अभी तक नहीं आया होगा।"

एक अन्य पत्र दिनांक 22.9.1989 में मृतका के भाई अशोक कुमार शर्मा ने मृतका को लिखा था -

> "दुकान कैसे चल रही है। दुकान बंद हो गयी होगी।"

दुकान बंद करने के बाद, अपीलार्थी नंबर 1 और मृतका, जो स्नातक थी, ने निजी स्कूल में शिक्षक के रूप में नौकरी कर ली, जैसा कि मृतका के पिता, रामेश्वर दयाल शर्मा पीडब्ल्यू 1 के बयान से स्पष्ट है। इसके अलावा, मृतका के कहने पर अपीलार्थी नंबर 1 अपने माता-पिता से अलग रहने लगा। ऐसा मृतका के भाई अशोक कुमार शर्मा के कहने पर किया गया, जिसने अपने बयान में यह बात स्वीकार की है।

मृतका की नौकरी चली गयी। यह पत्र प्रदर्श डी-6 जिसमें पीडब्ल्यू 7 अशोक कुमार शर्मा, मृतका के भाई ने सुनीता से मध्य प्रदेश के किसी भी जिले का अधिवास प्रमाण पत्र तैयार करने और उसे भेजने के लिए कहा था, से स्पष्ट है। श्री जैन ने तर्क दिया कि इस पत्र से यह भी पता चलता है कि मृतका का भाई भी मृतका के लिए नौकरी ढूंढने का प्रयास कर रहा था। मृतका द्वारा नौकरी खोने के कारण, अपीलार्थी क्रमांक 1 और मृतका वित्तीय संकट में फंस गये। निजी स्कूल में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में अल्प आय के साथ, अपीलार्थी नंबर 1 के लिए परिवार चलाना मुश्किल था। वित्तीय संकट के कारण अपीलार्थी नंबर 1 फिर से अपने माता-पिता के पास वापस आ गया, जैसा कि मृतका के पिता पीडब्ल्यू 1 रामेश्वर दयाल शर्मा की साक्ष्य से स्पष्ट है। इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि यह वित्तीय संकट ही था जिसके कारण मृतका अवसाद में चली गयी। अन्यथा, रिश्तेदारों द्वारा लिखे गए विभिन्न पत्र उनके मधुर संबंधों को दर्शाते हैं।

19. विशेष रूप से आईपीसी की धारा 498 ए के तहत उत्पीड़न के आरोप के संबंध में, श्री जैन ने निवेदन किया कि पीडब्ल्यू 1 ने भी अपनी जिरह में कहा था:

> "11. प्रदर्श पी-8 पत्र मेरी बेटी की मृत्यु से पहले मेरे दामाद सतीश चंद्र ने लिखा था। यह सही है कि मेरी बेटी सुनीता ने अपने पति यानी आरोपी सतीश या किसी अन्य शिकायतकर्ता के व्यवहार के संबंध में मुझसे कोई शिकायत नहीं की।"

मृतका सुनीता के भाई पीडब्ल्यू 7 अशोक कुमार शर्मा ने भी स्वीकार किया:

> "6.....मेरी बहन ने मुझे कभी भी अपने पति यानी सतीश चंद्र के बारे में नहीं बताया या शिकायत की कि उसने कभी उसे प्रताड़ित किया या कभी दहेज की मांग की या उसे परेशान किया। उन्होंने ये जरूर कहा कि जब उनकी सास ऐसी हरकतें करती हैं तो उनके पति कुछ नहीं कहते।"

श्री जैन ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त बयान किसी और के नहीं वरन् मृतका के पिता और भाई के है, जिनको ध्यान में रखते हुए, धारा 498 ए के तहत अपीलार्थी नंबर 1 की दोषसिद्धि और इस प्रकार आईपीसी की धारा 304-बी के तहत दोषसिद्धि प्रथम दृष्टया अस्थिर है।

इसके लिए उन्होंने सत्कार सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य जो कि (2004) 11 एससीसी 291 में रिपोर्ट हुआ है, के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:-

> "23. यह अप्रमाणित तथ्यों पर निकाले गए गलत अनुमानों पर और हितबद्ध साक्षीगण जिनके साक्ष्य जिरह की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं, की साक्ष्य पर निर्भर करते हुए आधारित करते हुए विचारण न्यायालय आरोपी व्यक्तियों की दोषसिद्धि के बारे में गलत निष्कर्ष पर पहुंचा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 3 पत्र प्रदर्श पी-28, डीए और डीबी जो हालांकि समय के बहुत करीब नहीं हैं, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कोई मांग नहीं थी जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपियों द्वारा आरोप लगाया गया है और उक्त पत्र की अंतर्वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाती है कि देविंदर कौर की मृत्यु के बाद लगाए गए आरोप दहेज की मांग या उत्पीड़न के कारण क्रूरता की बात निराधार है। इन सभी कारणों से हमारी राय है कि विचारण न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गंभीर गलती की कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थियों के खिलाफ अपना मामला स्थापित कर दिया है।"

20. श्री जैन द्वारा यह तर्क दिया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने यह नहीं पाया कि अपीलार्थी नंबर 1 ने कभी भी दहेज की कोई मांग की हो। उच्च न्यायालय ने सुनीता (बहन) को दोषमुक्त कर दिया है और इसलिए, जहां तक अपीलार्थी नंबर 1 (पति) का संबंध है, न तो कोई साक्ष्य है और न ही विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष निकाला गया है कि उसने कभी दहेज की मांग की थी। दहेज के संबंध में किसी भी साक्ष्य के अभाव में, आईपीसी की धारा 304 (बी) के तहत अपीलार्थी नंबर 1 (पति) की सजा प्रथम दृष्टया अस्थिर है, क्योंकि आईपीसी की धारा 304 (बी) में यह परिकल्पना की गई है कि

> "उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसे दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा।"

21. मृत्युकालिक कथन की सत्यता पर सवाल उठाते हुए, श्री जैन ने तर्क दिया कि यह पढ़ाया-सिखाया गया था क्योंकि इसे मृतका के परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में दर्ज किया गया था और जबकि अपीलार्थी नंबर 2 बाहर बैठी थी। इसके अलावा, इसी बयान में मृतका ने अपीलार्थी नंबर 1 के बारे में कहा था कि "वह निर्दोष है"। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यह मृत्युकालिक कथन उचित तरीके से अर्थात् प्रश्न और उत्तर के रूप में अभिलिखित नहीं किया गया था।

22. श्री जैन ने यह तर्क देते हुए अपनी बात समाप्त की कि उपरोक्त तथ्य पूरी तरह से साबित करते हैं कि यह दहेज की मांग का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसा मामला है जहां पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मृतका ने खुद को अनुकूल नहीं किया और खुद को ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां पहले उसने अपने पति को नमकीन का व्यवसाय बंद करने के लिए मजबूर किया, अपने पति को अपने माता-पिता से अलग होने और एक निजी स्कूल में नौकरी करने के लिए मजबूर किया और वह भी एक निजी स्कूल में नौकरी करने लगी। इस तथ्य के कारण कि जब मृतका बेरोजगार हो गयी और दंपति के लिए खर्च वहन करना मुश्किल हो गया, तो इसके परिणामस्वरूप वित्तीय समस्या हुई और अपीलार्थी नंबर 1 को अपने माता-पिता के घर वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे उसने उसकी बहिन की शादी से पहले छोड़ दिया था। वर्तमान मामले में रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि मृतका ने परिवार के सभी गहने छीनने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी नंबर 2 और मृतका के बीच कुछ विवाद हुआ, जो एक अकेली घटना थी जहां शारीरिक हमले का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में धारा 498ए या 304-बी के तहत कोई मामला नहीं बनता है। उन्होंने 1005 सप्लिमेंट (3) एससीसी 371 में रिपोर्ट किए गए महेंद्र सिंह के मामले में आए निर्णय पर निर्भर किया जिसमें न्यायालय ने निम्नानुसार कहा है:-

"दुष्प्रेरण को आईपीसी की धारा 107 में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरण करता है, जो सबसे पहले किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए उकसाता है, या दूसरे, उस कार्य को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में, और उस कार्य को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए, अथवा तीसरा, उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है। केवल मृतका को परेशान करने का तत्व आईपीसी की धारा 306 के अन्तर्गत दुष्प्रेरण के कोई भी घटक में न होने से उक्त आरोप टिकाऊ नहीं है। अपीलार्थी आरोप से दोषमुक्त होने के पात्र हैं।"

23. उन्होंने 2007 (10) एससीसी 797 में रिपोर्ट किए गए किशोरी लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले के एक अन्य निर्णय को भी समर्थित किया, जो निम्नानुसार है:

"7. कथित आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में आत्महत्या के लिए उकसाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्यों

का सबूत होना चाहिए। केवल यह तथ्य कि पति ने मृत पत्नी के साथ क्रूरता का व्यवहार किया, पर्याप्त नहीं है। केवल उत्पीड़न के आरोप पर आईपीसी की धारा 306 के तहत सजा प्रमाणित नहीं है। अभिलेख पर इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि मृतका परेशान थी क्योंकि उसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। पीडब्ल्यूएस 8, 10 और 11 ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि मृतका उक्त तथ्य के कारण निराश थी कि उसके बच्चा पैदा नहीं हो रहा था और वह इस वजह से दुःखी थी।"

यदि पृष्ठभूमि के तथ्यों का विश्लेषण किया जाए तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अपना मामला स्थापित करने में विफल रहा है। ऐसा होने पर, अपील स्वीकार की जानी चाहिए, जैसा कि हम निर्देशित करते हैं।"

24. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्कों का यह विरोध करते हुए कथन किया कि दोनों अपीलार्थियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य थी जिससे आईपीसी की धारा 304 बी और 498 ए के तहत अपराध करने के आरोप किसी भी उचित संदेह से परे साबित होते है। उन्होंने अपीलार्थीगण की दहेज की मांग और उस कारण उत्पीड़न के आरोपों के समर्थन में पीडब्ल्यू1, पीडब्ल्यू3 और पीडब्ल्यू7 की साक्ष्य का उल्लेख किया। उन्होंने

मृतका और उसके रिश्तेदारों के पत्र प्रदर्श पी1, पी3, पी4 और पी5 को भी पढ़ा, जो उनके अनुसार साबित करता है कि मृतका अपने ऊपर हुए उत्पीड़न के कारण दयनीय स्थिति में जी रही थी। उन्होंने आगे कहा कि मृतका के मृत्युकालिक कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालयों ने सही कार्यवाही की थी। उन्होंने अपीलार्थियों को उपरोक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराने के लिए विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों का भी उल्लेख किया। उन्होंने आगे यह भी कहा कि उपरोक्त अभियोजन पक्ष के गवाहों अर्थात् पीडब्ल्यू 1, पीडब्ल्यू 3 और पीडब्ल्यू 7 की सत्यता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि उन्होंने कभी भी घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया तथा उनसे जिरह में दिए गए कुछ सुझावों को सच्चाई से स्वीकार किया। उनका कहना था कि सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इन गवाहों के पूरे बयानों को पढ़ा जाना चाहिए जो कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा किया गया था।

25. हमने अभिलेख के संदर्भ में पक्षकारों के अधिवक्ता की उपरोक्त दलीलों पर उचित विचार किया है। अब समय आ गया है कि इन तर्कों की विश्लेषणात्मक समीक्षा से की जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इन अपीलार्थियों के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज की गई और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई दोषसिद्धि और सजा प्रमाणित है या नहीं।

26. निर्विवादित रूप से श्रीमती सुनीता ने 14.1.1991 को अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर और फिर खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके और अपीलार्थी नंबर 1 के बीच विवाह अप्रैल 1988 में हुआ था। इस प्रकार, यह घटना शादी की तारीख से 3 साल की अवधि के भीतर हुई थी। चूंकि यह शादी के 7 साल के भीतर है, अतः धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत उपधारणा की जाएगी यदि उक्त धारा के अंतर्गत अन्य घटक तय हो जाते है।

27. बयान में मृतका ने घटना का अर्थात् आत्महत्या करने के तरीके का विवरण दिया था। उन्होंने ऐसा कदम उठाने का कारण भी बताया है और उसके ससुरालवालों द्वारा उसके साथ किए गए व्यवहार का वर्णन किया है। एक विशिष्ट आरोप यह है कि उसकी सास (अपीलार्थी सं. 2) और ननद उसे इस आधार पर परेशान करते थे कि उसके माता-पिता ने सोने की चैन नहीं दी थी और वे दहेज के लिए लड़ते थे। यह बात उसके पिता को पता थी। उन्होंने कहा था कि वह लगातार हो रही लड़ाई के कारण अपने जीवन का अंत कर रही थी। उसने यह भी कहा है कि उसका पति (अपीलार्थी संख्या 1) उनकी सास के प्रभाव में आ गया है जिस वजह से वह उसे पीटता था, लेकिन अन्यथा वह निर्दोष था।

28. उक्त मृत्युकालिक कथन में उपरोक्त प्रकटीकरण को ध्यान में रखते हुए, हमारे अनुसार सर्वप्रथम यह तय करना होना चाहिए कि क्या मृतका ने ऐसा बयान दिया था और यह विश्वसनीय है या नहीं।

29. उक्त बयान कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, जावरा द्वारा दर्ज किया गया है। इस दस्तावेज़ के अनुसार जिस समय बयान दर्ज किया गया, उस समय कोई भी पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं था। कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा सुनीता के बयान अभिलिखित करने से पूर्व डाॅ. एस.के.जैन ने प्रमाणित किया कि वह पूरी तरह से होश में थी और वह अपना बयान देने की स्थिति में थी। डॉक्टर ने पुनः बयानों में भी कहा कि अपना बयान दर्ज करते समय, वह पूरी तरह से होश में रही। मुख्य रूप से, इस मृत्युकालिक कथन की सत्यता पर सवाल उठाते हुए दो आपत्तियाँ उठाई गई हैं। ऐसा कहा गया है कि बयान देने से पहले सुनीता को पढ़ाया गया था क्योंकि यह बयान मृतका के परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में दिया गया था और जब बयान दर्ज किया जा रहा था तो अपीलार्थी नंबर 2 को बाहर बैठाया गया था। दूसरे, इसे सवाल-जवाब के तौर पर दर्ज नहीं किया गया है। इस मामले के तथ्यों के आधार पर ये दोनों तर्क खारिज किए जाने चाहिए। यह स्पष्ट है कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने उचित सावधानियाँ बरती और यहाँ तक कि बयान अभिलिखित करने से पूर्व सुनीता के स्वास्थ्य की स्थिति का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया। उन्होंने पी. डब्ल्यू. 2 के रूप में साक्ष्य देते समय इस आशय से बयान भी दिया है। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है

जो यह इंगित करता है कि मृतका को उसके मौसा द्वारा पढ़ाया गया होगा। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि अस्पताल पहुंचने के बाद उन्हें अपने मौसा से मिलने का मौका मिला और उसे उन्हें पढ़ाने का अवसर मिला। यह भी ध्यान में रखा जाना है कि उनके द्वारा घटना की तारीख से पहले उसके रिश्तेदारों को लिखे गए कुछ पत्रों में स्पष्ट रूप से यह कहा कि वह अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थी और इसे समाप्त कर सकती है। बचाव पक्ष द्वारा इन पत्रों को एक अलग दिशा देने की कोशिश की जा रही है। हम उचित प्रक्रम पर उस पहलू पर वापस लौटेंगे। इस समय हम केवल इस बात पर प्रकाश डाल रहे हैं कि सुनीता अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थी और उसने पहले भी कई मौकों पर ऐसा व्यक्त किया था। यह तथ्य उनके बयान में भी सामने आया है। यह भी इंगित करने के लिए उचित है कि उसने मुख्य रूप से अपनी सास और ननद को दोषी ठहराया है। उसके पति के खिलाफ इस आशय का कोई आरोप नहीं है कि वह भी दहेज की मांग कर रहा था। वह स्पष्ट रूप से कहती है कि उसके पति ने जो कुछ भी किया वह उसकी सास के प्रभाव में किया, और वह कभी-कभी उसे पीटता भी रहता हैं। अन्यथा, उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसका पति निर्दोष है। यदि किसी प्रकार का कोई लिखाया पढ़ाया गया होता तो, यह कथन इस रूप में नहीं होता जो कि अधिक स्वाभाविक और स्वैच्छिक प्रतीत होता है। इन सभी कारणों से हम

श्री जैन के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि बयान देने से पहले सुनीता को पढ़ाया गया था।

30. सिर्फ इसलिए कि कथन को प्रश्न और उत्तर के रूप में दर्ज नहीं किया गया है, इसे एक बार खारिज करने का कोई कारण नहीं है। अन्यथा यह विश्वसनीय पाया जाता है और इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत मृत्युकालिक कथन के रूप में स्वीकार्य माना जा सकता है। निस्संदेह, इस न्यायालय द्वारा इस बात पर जोर दिया गया है कि इस तरह के बयान को प्रश्न और उत्तर के रूप में दर्ज करना अधिक उपयुक्त तरीका है जिसका आम तौर पर सहारा लिया जाना चाहिए। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं होगा कि यदि ऐसा कोई बयान अन्यथा धारा 32 की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और विश्वसनीयता के योग्य पाया जाता है, तो इसे केवल इस आधार पर खारिज कर दिया जाएगा कि इसे प्रश्न और उत्तर के रूप में दर्ज नहीं किया गया था। उपरोक्तानुसार, कार्यकारी मजिस्ट्रेट (पीडब्ल्यू2) द्वारा बयान दर्ज करने से पहले सभी आवश्यक सावधानियां बरती गईं। यह अभिलेख से दर्शित है कि मृतका अपना बयान पूरा करने के बाद भी होश में थी और उस अवधि के दौरान जब उसका बयान दर्ज किया जा रहा था, इस आशय का प्रमाण पत्र भी पीडब्ल्यू 2 द्वारा प्राप्त किया गया था।

31. यह मानते हुए कि मृतका के उपरोक्त बयान को साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत मृत्युकालिक कथन के रूप में स्वीकार्य

माना गया था, हम यह पता लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलार्थियों को धारा 498 ए और 304 बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषी उचित ढंग से ठहराया गया है। पत्रों के संदर्भ से, मृतका अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थी, इसकी एक संभावना यह भी हो सकती है कि उसका पति धनी नहीं था और जीवन में स्थिर नहीं था। इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि वह नमकीन के छोटे व्यवसाय से खुश नहीं थी जो अपीलार्थी नंबर 1 द्वारा एक छोटी सी दुकान में किया जा रहा था और उसकी आकांक्षाएं बहुत अधिक थीं। उसने उससे वह व्यवसाय को बंद करवा दिया और दोनों पति और मृतका ने एक निजी स्कूल में शिक्षक के रूप में नौकरी शुरू की थी। बाद में मृतका ने अपनी वह नौकरी भी खो दी। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनके आत्महत्या करने की वजह यही थी? मृत्युकालिक कथन में दिए गए उसके बयान को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक रूप में दिया जाना चाहिए। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि उसकी सास सोने की चैन की मांग जिसे उसके माता-पिता पूरा नहीं कर सके, को लेकर उसके साथ नियमित रूप से मारपीट करती थी। उस दिन भी उसका झगड़ा हुआ था और रोज-रोज के झगड़ों से तंग आकर उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया और आग लगा ली। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आत्महत्या करने का तात्कालिक कारण दहेज की मांग को लेकर सास के साथ नियमित झगड़ा था। इस प्रकार, यह स्थापित होता है कि अपीलार्थी नंबर

2, मृतका की सास द्वारा लगातार दहेज की मांग की जा रही थी और इस मांग को पूरा न करने पर अपीलार्थी नंबर 2 उसके साथ क्रूरता का व्यवहार भी कर रही थी।

32. आईपीसी की धारा 498ए इस प्रकार है:-

"498ए. किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना-

जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के साथ क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण -- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 'क्रूरता' से निम्नलिखित अभिप्रेत है -

(ए) जानबूझकर किया गया आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है; या

(बी) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान

प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीड़ित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।"

हम यह पाते हैं कि उक्त धारा के तत्व अपीलार्थी सं. 2 के सम्बन्ध में पूर्ति करते है क्योंकि मृतका संपत्ति जो कि इस प्रकरण में सोने की चैन है की गैरकानूनी मांग और उस मांग को पूरा करने में उसकी ओर से विफलता के कारण क्रूरता का शिकार थी। इतना कि, अंततः इसने सुनीता को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया।

33. जहाँ तक अपीलार्थी सं. 1 का संबंध है, धारा 498ए के तहत उसकी सजा को बरकरार रखना मुश्किल है। मृतका ने अपने बयान में इस मांग के लिए अपनी सास और ननद पर ही आरोप लगाया है। उन्होंने अपने पति पर बिल्कुल भी आरोप नहीं लगाया है। इसके विपरीत, उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसका पति निर्दोष है। संभवतः कभी-कभी अपीलार्थी नंबर 1 ने अपनी सास के कहने पर अपनी पत्नी को पीटा हो, लेकिन मृतका ने इसे दहेज की मांग से नहीं जोड़ा है। इसलिए, यह निश्चायक रूप से साबित नहीं हुआ है कि उसके द्वारा कोई "क्रूरता" की थी। यहां विभिन्न पत्रों के साथ मृतका का बयान पढ़ना कुछ हद तक महत्वपूर्ण हो जाता है। उन पत्रों का सार, जहां तक वे अपीलार्थी संख्या 1 से संबंधित

हैं, इंगित करता है कि जहां तक अपीलार्थी संख्या 1 का संबंध है, उसे दोषी नहीं ठहराया गया है। दरअसल, अपीलार्थी नंबर 1 अपनी पत्नी को खुश और संतुष्ट करने के लिए जीवन में कुछ बनने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था और उसके लिए संघर्ष कर रहा था। इस प्रकार, धारा 498ए के तहत अपीलार्थी संख्या 1 को संदेह का लाभ दिया गया। परिणामस्वरूप, आईपीसी की धारा 498ए के तहत अपीलार्थी नंबर 2 की सजा को बरकरार रखते हुए, अपीलार्थी नंबर 1 को इस आरोप से दोषमुक्त किया गया।

34. इसके साथ, हम आईपीसी की धारा 304बी के तहत सजा के सवाल पर आते हैं। इसे निम्नलिखित भाषा में लिखा गया है:-

"304बी दहेज हत्या-

(1) जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियाेंं से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की थी, या उसे तंग किया था वहां ऐसी मृत्यु को 'दहेज मृत्यु' कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण -- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, 'दहेज' का वही अर्थ होगा जो दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है।

(2) जो कोई भी दहेज हत्या करेगा उसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा।

35. निःसंदेह सुनीता की मृत्यु जलने से हुई है तथा सामान्य परिस्थितियों के अलावा अन्य परिस्थितियों में हुई है। ऐसा उनकी शादी के 7 साल के भीतर हुआ था। इसके अलावा, आत्महत्या करने का कारण उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को उसके और उसकी सास के बीच हुआ झगड़ा था। साथ ही यह ऐसा मामला नहीं है जहां अपीलार्थियों ने मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी हो। यह मृतका का ही कृत्य है इसलिए यह आत्महत्या का मामला है। सवाल यह है कि क्या मृतका और उसकी सास के बीच के झगड़े को इस शर्त को पूरा करने वाला माना जा सकता है कि "उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले उसे दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था"। बयान को समग्रता से पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि नियमित झगड़े का कारण/कारण दहेज था। बयान से साफ पता चल रहा है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन भी अपीलार्थी नंबर 2 ने इसी वजह से उससे झगड़ा किया था। इसलिए, अपीलार्थी नंबर

2 द्वारा कारित धारा 304 बी के अपराध के लिए अखण्डित निश्चित मृत्यु कालिक कथन को देखते हुए निश्चायक रूप से सिद्ध है। यहां फिर से, आईपीसी की धारा 498 ए के तहत अपीलार्थी नंबर 1 के खिलाफ आरोप पर चर्चा करते समय हमारे द्वारा बताए गए कारणों के कारण, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी नंबर 1 ने उसकी मृत्यु से तुरंत पहले "क्रूरता" का कोई कार्य किया था, जिसने मृतका को ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर किया। उसने कहीं भी यह नहीं कहा है कि उस तारीख को जब उसकी सास ने उससे झगड़ा किया था, अपीलार्थी नंबर 1 उसमें सम्मिलित था या उसके लिए उत्तरदायी भी था। इस प्रकार अपीलार्थी संख्या 1 को धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप से भी दोषमुक्त किया जाता है।

36. उपरोक्त अपराधों के संबंध में अपीलार्थी संख्या 2 की सजा पर आते हुए, हम आईपीसी की धारा 498 ए के तहत अपराध के लिए एक वर्ष के कठोर कारावास (आरआई) की सजा को बरकरार रखते हैं। हालाँकि, जहां तक आईपीसी की धारा 304 बी का संबंध है, हमारी राय है कि कुछ निश्चित और कम करने वाली परिस्थितियां हैं जो हमें अपीलार्थी संख्या 2 को दी गई 10 साल की सश्रम कारावास की सजा को कम करने के लिए प्रेरित करती हैं। सबसे पहले, जब कि आत्महत्या करने का तात्कालिक कारण झगड़ा था, साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि मृतका अन्य कारणों से भी अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थी। दरअसल, वह इस

शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जैसा कि उसने अपनी मौसी या मौसा को लिखे कुछ पत्रों में बताया था। हमारा मानना है कि सजा को 10 साल से घटाकर 7 साल की कठोर कैद कर देने से न्याय का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। उपरोक्त शर्तों के अनुसार अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थी नंबर 2 को शेष सजा काटने के लिए हिरासत में लिया जाएगा।

अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी शालिनी गोयल आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।